



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228847
CG-DL-E-10082021-228847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2975]
No. 2975]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SRAVANA 18, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3206(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) तथा (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019, नियम 23 के अधीन, उपनियम (7) में खंड (i), उप-खंड (ख) के पश्चात, उप-खंड (क) के प्रयोजनों हेतु, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: किसी भारतीय अस्तित्व द्वारा किया गया कोई विनिधान जो गैर-प्रत्यावासन आधार पर अनिवासी भारतीय (यों) के स्वामित्व में है और नियंत्रित है, वह अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान की संगणना के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।”

[फा. सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.सं. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019, का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020 और का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020, का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020 तथा 08 दिसंबर, 2020 का.आ. 4441 (अ) द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3206(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, under Rule 23 in sub-rule (7), in clause (i), after sub-clause (B), for the purpose of sub-clause (A), the following Explanation shall be inserted, namely:-

Explanation: An investment made by an Indian entity which is owned and controlled by NRI(s), on a non-repatriation basis, shall not be considered for calculation of indirect foreign investment.

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide numbers S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019, S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020, S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020, S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020 and S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020.